अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 135 / 2012

1. तुलसीराम पुत्र हिराराम
2. श्रीमती रूकमणी स्त्री स्व. फुलाराम
3. भरत कुमार
4. बबुलाल
5. रामलाल
6. पितराम
7. महेन्द्र सिंह
8. नन्दकुमार

(3 से 8) पुत्रगण स्व. फुलाराम

9. श्रीमती पतासी उर्फ सोनी स्त्री स्व. बेगाराम
10. राजपाल
11. मक्खनलाल
12. रामोतार
13. श्रवण कुमार

(10 से 13) पुत्रगण स्व. बेगाराम

14. बजरंग पुत्र स्व. जोराराम

जाति समस्त मेघवाल निवासीगण देबीपुरा तहसील व जिला झुंझुनू

--वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू राजस्थान।
2. झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुंझुनू जरिये प्रबंधक।

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री विजयपाल, एडवोकेट - वादीगण की ओर से

श्री श्रवण कुमार सैनी., एडवोकेट - राज्य सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.01.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप्प मे इस प्रकार से है कि आराजी गत खसरा न. 21 तादादी 9 बीघा 12 विश्वा, हाल खसरा न. 205 तादादी 2.42 हैक्टर सरहद मौजा देवीपुरा तहत तहसील झुंझुनू मे स्थित है। गत खसरा न. 173 तादादी 29 बीघा 6 बिश्वा के हाल खसरा न. 494 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा न. 495 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा न. 496 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा न. 497 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा न. 498 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा न. 499 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा न. 500 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 501 रकबा 2.37 हैक्टर, खसरा न. 506 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 7.41 हैक्टर स्थित है। उक्त तत्कालीन ग्राम उतारसर वर्तमान राजस्व ग्राम देवीपुरा में भजु व डुंगा नामक दो सगे भाई पैदा हुये। उक्त दोनो का देहान्त हों चुका है। भजु के तीन पुत्र पेमा, सेहु व बोयतराम पैदा हुऐ। उक्त सेडुराम अविवाहित रहा और अपने जीवनकाल में सेडुराम ने किसी को गोद नही लिया तथा अपनी सम्पति किसी को वसीयत के द्वारा भी नही दी। पेमाराम के दो पुत्र हिराराम व फुलाराम हुये। हिराराम व उसकी स्त्री तथा फुलाराम व पेमाराम व उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। हिराराम का वारिस वादी संख्या 1 तुलसीराम है। वादी संख्या 2 से 8 स्व. फुलाराम के कमशः स्त्री व पुत्रगण होने से वारिस है। इस प्रकार वादी संख्या 1 से 8 पेमाराम के वारिस है। बोयतराम व उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। बोयतराम के

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू

तीन पुत्र बेगाराम, नानड़ व कजोड़ पैदा हुये। नानड़ व कजोड़ नाऔलाद अविवाहित फौत हुये। बेगाराम की मृत्यु हो चुकी है। वादीया संख्या 9 बेगाराम की पत्नि है। वादी संख्या 10 से 13 बेगाराम के पुत्रगण है। इस प्रकार वादी संख्या 9 से 13 बोयताराम के वारिस है और वादी संख्या 1 से 13 भजु के वारिस है। वादी संख्या 14 बजरंग के पिता का नाम जोराराम और दादा का नाम डुंगा है। वादी संख्या 14 बजरंग भजु अथवा उसके पुत्र पेमाराम, सेडुराम, बोयतराम का वारिस नही है। यह कि जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र को तत्कालीन ठिकाना से पहले लगान के ऐवज मे बतौर टिनेन्ट काश्त हेतु बहिस्सा बराबर पेमा, सेडु व बोयतराम ने प्राप्त की और काबिज काश्त हुये तथा लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के बाद उक्त तीनो भाईयो ने लगान राजस्थान सरकार को अदा किया। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद–पत्र के टिनेन्ट पहले पेमाराम, सेडुराम व बोयतराम हुये। उक्त जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद–पत्र के टिनेन्ट उपरोक्त अनुसार पहले पेमाराम, सेडुराम व बोयतराम हुये। सेडुराम के देहान्त होने पर उसका हिस्सा उतराधिकार मे पेमारा व बोयतराम के वारिसान को मिला। पेमाराम व बोयतराम के वारिसान ने उक्त आराजी का आपस में मौखिक विभाजन किया और मौखिक विभाजन मे 1/3 हिस्से की जमीन हिराराम को व 1/3 हिस्से की जमीन फुलाराम को व 1/3 हिस्से की जमीन बेगाराम को मिली और इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद–पत्र सरहद मौजा देवीपुरा मे वादी संख्या 1 तुलसीराम 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 से 8 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के तथा वादी संख्या 9 से 13 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के कोटिनेन्ट है और इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का अंकन करवाने के अधिकारी है और उक्त आराजी वादीगण संख्या 1 से 13 को उताराधिकार मे प्राप्त हुई है। उपरोक्त मौखिक विभाजन मे जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद–पत्र मे हिराराम का 1/3 हिस्सा रहा जो उताराधिकार मे वादी संख्या 1 तुलसीराम को प्राप्त हुआ। उक्त आराजी मे विभाजन फुलाराम को 1/3 हिस्सा मिला जो उताराधिकार मे संयुक्त रूप से वादी सख्या 2 से 8 को प्राप्त हुआ। उक्त आराजी मे विभाजन मे ब्रेगाराम को 1/3 हिस्सा मिला जो उतराधिकार मे वादी संख्या 9 से 13 को संयुक्त रूप से मिला। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र मे वादी संख्या 12 रामुतार का नाम लिपिकीय भूल से रामचन्द्र दर्ज है। जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र मे तत्कालीन राजस्व एजेन्सी मे जोरिया पुत्र भजू का नाम बिना किसी हक अधिकार के दर्ज कर दिया। जो गलत रूप से साल दर साल राजस्व रिकार्ड मे चलता रहा। जोराराम, भजू का वारिस नही रहा है। इस प्रकार से जोराराम के मरने के बाद राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 14 का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया। इसे रिकार्ड से हटाया जाना उचित व आवश्यक है। जोराराम व वादी संख्या 14 जमीन वर्णित धारा 2 वाद–पत्र के कभी टिनेन्ट नही रहे और ना ही काबिज काश्त रहे। यह कि हिराराम, फुलारामं व बेगाराम तथा उनके पिता ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित मजदुरी व काश्तकार पेशा व्यक्ति थे और आपस मे प्रेम व स्नेह रहा इस कारण राजस्व रिकार्ड की और ध्यान देने की जरूरत नही पडी। वादी संख्या 2 से 13 भी काश्तकार व मजदुरी पेशा व्यक्ति है। वादी संख्या 1 राजकीय सेवामे है। वादीगण को राजस्व रिकार्ड का ज्ञान नही है। माह अगस्त सन 2011 मे वादी संख्या 1 ने अपनी जमीन के विकास करने के लिए जमीन का खाता विभाजन करवाना चाहा और वकील से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड की नकले ली तो गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। इस पर वादी सख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 से रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सख्या 1 ने श्रीमान की अदालत मे रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश लाने हेतु कहा तो वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र मे से कुछ रिकार्डेड खातेदारान का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के रहन है। दावा मे चाहा गया अनुतोष प्राप्त होने पर बैंक के रहन पर कोई विपरित असर नही पडता है। कानूनी खामी से बचने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया है। उक्त दावा हाजा के लिए सर्वप्रथम वाद कारण माह अगस्त सन 2011 मे गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब उसके बाद अदालत हाजा मे दावा करने की सलाह दी तब पैदा हुआ। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र मे वादी संख्या 1 तुलसीराम को 1/3 हिस्से का तथा वादी सख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा वादी सख्या 9 से 13 को सयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का टिनेन्ट घोषित किया जाकर इसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ा गंज

राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश किया जावे। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया। प्रकरण दिनांक 26.05.2016 को खारीज होने पर प्रार्थी वादी का पुनः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 दिनांक —— 01.02.2018 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई व वकील वादी को सुना जाकर पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रर्दश पी–1 नकल मिसल हकियत सम्वत 1999 प्रर्दश पी–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2016–19, प्रर्दश पी–3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022, प्रर्दश पी–4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 तक प्रर्दश पी. 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रर्दश पी–6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2040 से 2043, प्रर्दश पी–7 नकल नामान्तरकरण संख्या 234, प्रर्दश पी–8 नकल जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047, प्रर्दश पी–9 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश पी–10 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश पी–11 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2058 से 2078, प्रर्दश पी–12 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 उपर्युक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि जमीन वर्णित धारा वाद पत्र मे वादी संख्या 14 बजरंग का नाम हजफ किया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 मे वादी संख्या 1 तुलसीराम को 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 9 से 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का टिनेन्ट घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए अमल दरामद करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एंव बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.19

(अशोक बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उनवान

तुलसीराम वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मु0न0 135/2012 निर्णय दिनांक: 31.01.2019

वादीगण की ओर से वकील श्री विजयपाल उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 26.12.2018 को श्रीमती अलका बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि जमीन वर्णित धारा वाद पत्र मे वादी संख्या 14 बजरंग का नाम हजफ किया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 व 2 मे वादी संख्या 1 तुलसीराम को 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 से 8 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 9 से 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का टिनेन्ट घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए अमद दरामद करें। खर्चा वादीगण अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	0
स्टाम्प वकालतनामा	11	स्टाम्प अर्जी	0
स्टाम्प वजह सबुत		मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	13	कुल	0

31.1.19

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू